राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–737/2025

श्योपत राम

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आशुतोष, निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टाटिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में निजी सहायक प्रथम के पद पर लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत है। उनका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया है। चूंकि पूर्व में राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय के पद का

कर्मचारी था। अपीलार्थी निजी सहायक ग्रेड–प्रथम है, जिसे निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर में किया गया है, उसमें विशेष विवरण के कॉलम में यह टिप्पणी अंकित की गयी है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी सचिव के पद के विरूद्ध स्वयं के पातेय वेतन के पद पर किया गया है। हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके पद से निम्नतर पद पर नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)